

# Notice / सूचना – A

## FACILITY FOR SENIOR CITIZEN & DIFFERENTLY ABLED PERSONS

### बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधा

We give preferential treatment to senior citizens, differently abled, and visually impaired persons. In case you require any assistance, please contact AU Branch Official.

हम वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया एयू शाखा अधिकारी से संपर्क करें।

## NOTICE ON NOMINATION FACILITY / नॉमिनेशन सुविधा के बारे में सूचना

Nomination facility is available for all types of Deposit Accounts and Lockers (For Individuals). It is advisable for you to opt for the Nomination Facility. Looking forward for your co-operation.

नामांकन सुविधा सभी जमा खातों और लॉकर के लिए उपलब्ध है। सभी ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं। हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

## CLEAN NOTE POLICY / साफ़ नोट नीति

At AU Small Finance Bank, we are committed to provide good quality currency notes to the customers.

- RBI has prohibited the stapling of currency notes under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and therefore all customers are requested to deposit only unstapled currency notes.
- The Bank will also issue currency notes in unstapled condition only.
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत नोटों को स्टेपल करने पर रोक लगाई है, इसलिए सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वे केवल बिना स्टेपल किए हुए नोट ही जमा करें।
- बैंक मुद्रा नोट केवल बिना स्टेपल किए हुए ही जारी करेगा।

## RTGS / NEFT - TIMINGS / समय

| Transaction Timings / लेनदेन समय                                                                                                                                          | Ref. / संदर्भ                                 | NEFT / एन ई एफ टी    | RTGS / आर टी जी एस   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| From Monday to Saturday (except 2nd & 4th Saturday of the month & Bank Holidays) सोमवार से शनिवार (प्रत्येक माह के 2nd एवं 4th शनिवार तथा बैंक छुट्टी के दिनों को छोड़कर) | At Branch / शाखा में                          | 09:30 am to 05:00 pm | 09:30 am to 05:00 pm |
|                                                                                                                                                                           | Retail Net Banking / रिटेल नेट बैंकिंग        | All Day 24x 7        | All Day 24x 7        |
|                                                                                                                                                                           | Corporate Net Banking / कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग | All Day 24x 7        | All Day 24x 7        |

Transactions received after the cut-off time will be submitted to RBI on the next working day, as RTGS service is available only during the specified timings and no requests will be accepted after the cut-off time; customers may contact their branch for any clarification.

कट-ऑफ समय के पश्चात प्राप्त लेनदेन अगले कार्य दिवस में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि RTGS सेवा केवल निर्धारित समयावधि के दौरान ही उपलब्ध है तथा कट-ऑफ समय के उपरांत कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा; किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु ग्राहक अपनी संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

## NOTICE ON RAMP FACILITY NOT AVAILABLE / रैंप सुविधा उपलब्ध नहीं होने की सूचना

Due to Infrastructure issues, it is not feasible to provide ramp facility for wheelchair users / persons with disability. If there is any assistance required, please get in touch with Branch Manager / Asst. Branch Manager. We highly regret for the inconvenience caused in this regard.

आधारिक संरचना के कारण, व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं / दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ढलान सुविधा उपलब्ध किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यदि कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया शाखा प्रबंधक / सहायक से संपर्क करें। इस संबंध में हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।

## NOTICE AND STATUTORY INFORMATION ABOUT PAN

### पैन के बारे में सूचना एवं वैधानिक जानकारी

- Section 262 of the Income Tax Act and Rule 159 of Income Tax Rules make it mandatory for furnishing of PAN for opening of any account. Further, it is mandatory for the Bank to mention the PAN of the customer on the TDS certificate and in TDS returns filed by it. In order to avail proper credit for the TDS while filing income tax returns, customers are requested to furnish copy of PAN card along with the original card for verification.
- In case PAN is not provided by the customer or the one provided is incorrect or invalid, the Bank shall not be responsible for denial of TDS claims by the tax authorities.
- Further, you may please note that following additional rules shall be applicable with effect from 01.04.2026:
  - The Income Tax Department has introduced Form 97, replacing the erstwhile Form 60, with certain modifications to the form format.
  - Form 97 (earlier known as Form 60) shall not be required where cash deposits exceeding ₹ 50,000 are made in a single day
  - In case of PAN is not furnished by customer to AUSF Bank then cash withdrawals/cash deposits are not allowed for Rs. 10 lakhs or more in a financial year.

\*All the above information is subject to change without prior notice by bank. This document is only for the purpose of guidance, please contact branch representative for any clarification or exact implication in your account.

- आयकर अधिनियम की धारा 262 एवं आयकर नियम 159 के अनुसार, किसी भी खाता खोलने हेतु PAN प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही, बैंक के लिए TDS प्रमाणपत्र एवं रिटर्न में ग्राहक का PAN उल्लेख करना आवश्यक है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय TDS का सही लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए PAN कार्ड की प्रति, मूल कार्ड के साथ प्रस्तुत करें।
- यदि ग्राहक द्वारा PAN प्रदान नहीं किया जाता है या दिया गया PAN गलत / अमान्य है, तो TDS क्लेम के अस्वीकार होने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- कृपया ध्यान दें कि 01.04.2026 से निम्नलिखित अतिरिक्त नियम लागू होंगे:
  - आयकर विभाग ने **फॉर्म 97** शुरू किया है, जो पूर्व के **फॉर्म 60** का स्थान लेता है (संशोधित प्रारूप के साथ)।
  - एक ही दिन में ₹ 50,000 से अधिक नकद जमा की स्थिति में **फॉर्म 97 (पूर्व में फॉर्म 60)** आवश्यक नहीं होगा।
  - यदि ग्राहक द्वारा AU Small Finance Bank को PAN प्रदान नहीं किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक की नकद जमा / निकासी की अनुमति नहीं होगी।

\*उपरोक्त जानकारी में बैंक बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। यह दस्तावेज केवल मार्गदर्शन हेतु है। किसी भी स्पष्टीकरण या आपके खाते पर इसके प्रभाव संबंधी जानकारी के लिए कृपया अपनी शाखा के प्रतिनिधि से संपर्क करें।

## LOCKER ANNUAL CHARGES / लॉकर का सालाना शुल्क

| Locker Specification / लॉकर विनिर्देश | Branch Category / शाखा श्रेणी |          |          |          |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Locker Type/ लॉकर का प्रकार           | A (in ₹)                      | B (in ₹) | C (in ₹) | D (in ₹) |
| Small / छोटा                          | 2,000                         | 1,800    | 1,400    | 800      |
| Medium / मध्यम                        | 2,800                         | 2,400    | 2,000    | 1,400    |
| File / फाइल                           | 4,000                         | 3,400    | 2,800    | 1,800    |
| Large / बड़ा                          | 6,000                         | 5,000    | 4,000    | 2,400    |
| Extra Large / अतिरिक्त बड़ा           | 10,000                        | 8,000    | 6,000    | 4,000    |

Scan QR for Notices in your preferred languages

अपनी पसंदीदा भाषा में सूचनाएँ देखने हेतु QR कोड स्कैन करें।

